

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

अनवादी

वादी

प्रतिवादीगण

1 अलसाराम पुत्र मंगलाराम
जाति कुमावत निवासी रोहिली
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

1 जामीन खां 2 जमाल खां 3 पटान खां 4 मखण खां
5 लतीफ खां पिसरान बचल खां 6 इनाम पत्नी गाजी
जाति मुसलमान निवासी रोहिली तहसील व जिला
बाड़मेर 7 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक रिको
बाड़मेर 8 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत 88, 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 51/2019

निर्णय दिनांक :- 17.8.21

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 02 की उपस्थिति में इस वाद में आज
तारीख 17.8.21 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बाड़मेर के
समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री
निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन
प्रस्ताव के मद्देनजर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के मध्य मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र
कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 414/55 रकबा 127.10 बीघा भूमि
में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के मध्य भूमि का विभाजन निम्नप्रकार किया जाता
है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	अलसाराम पुत्र मंगलाराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार	414/55	07.00	बा.दो.	0.42	हरा
2	जमाल खां पुत्र बचल खां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	414/55	18.10	बा.दो.	1.11	लाल
3	जमीन खां पटान खां मखण खां पिसरान बचल खां 1530/2040 लतीफ खां पुत्र बचल खां 450/2040 इनाम पत्नी गाजी 60/2040 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन जामीन खां पटान खां का हि. पीएनबी बाड़मेर मखण खां का हिस्सा आरएमजीबी भाडखा	414/55	102.00	बा.दो.	06.12	आसमानी

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे तथा नक्शा में
तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा परिशिष्ट-अ निर्णय का अभिन्न अंग
रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 17.8.21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	जोड़	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	जोड़
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पत्र प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			